

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 104/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/

टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता ग्यारहवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गनपत्राओं कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई व शाखा कार्यालय- बेसमेंट दी गुमाण नियर आग्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर - प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. अंसार अली निवासी प्लॉट नम्बर 422 सती चबूतरा स्कूल के पास ब्रिजराजपुरा कोटा व मैसर्स अंसार चूड़ी वाला सती चबूतरे के पास मकबरा ब्रिजराजपुरा कोटा, राजस्थान
2. शबीना बेगम निवासी प्लॉट नम्बर 422 सती चबूतरा स्कूल के पास ब्रिजराजपुरा कोटा व मैसर्स सबीना ज्वैलर्स सती चबूतरे के पास पिंजारे की मस्जिद के सामने ब्रिजराजपुरा कोटा राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 22.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता ग्यारहवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गनपत्राओं कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई 400013 में स्थित है से अप्रार्थी ने दिनांक 30.12.2016 व 23.08.2017 को कुल रूपये 30,92,000/- (अक्षरे: रूपये तीस लाख, बरानवे हजार मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 422, सती चबूतरा स्कूल के पास, ब्रिज राजपुरा वार्ड नम्बर 51, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसकी चर्तु:सीमाएं पूरब में-शेष भाग मकान, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- शेष भाग मकान व अन्य दुकान, दक्षिण में- रास्ता पटान स्थित है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2011 से अप्रार्थी अंसार अली के नाम दर्ज है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 08.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 31,30,095/- ( अक्षरे रूपये इक्कतीस लाख, तीस हजार, पिच्चानवे रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 23.09.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 23.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 25.10.2019 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.10.2019 में प्रकाशन भी कराया इसके



बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को को दिनांक 23.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 25.10.2019 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.10.2019 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 23.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 25.10.2019 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.10.2019 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 422 , सती चबूतरा, स्कूल के पास ब्रिज राजपुरा वार्ड नम्बर 51 ,जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसकी चतुःसीमाएं पूरब में-शेष भाग मकान, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- शेष भाग मकान व अन्य दुकान, दक्षिण में- रास्ता पटान स्थित है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2011 से अप्रार्थी अंसार अली के नाम दर्ज है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे । आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्जवल राठौड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

